Foreigners Division
Ministry of Home Affairs
Government of India

Foreigners Division

Acquisition of Indian Citizenship (IC)

Indian citizenship can be acquired by birth, descent, registration and naturalization. The conditions and procedure for acquisition of Indian citizenship as per the provision of the Citizenship Act, 1955 are given below:

(1) By Birth (Section 3)

- A person born in India on or after 26th January 1950 but before 1st July, 1987 is citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents.
- A person born in India on or after 1st July,1987 but before 3rd December, 2004 is considered citizen of India by birth if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth.
- A person born in India on or after 3rd December, 2004 is considered citizen of India by birth if both the parents are citizens of India or one of the parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of his birth.

  An ?illegal migrant? as defined in section 2(1)(b) of the Act is a foreigner who entered India.

  (i) without a valid passport or other prescribed travel documents : or

  (ii) with a valid passport or other prescribed travel documents but remains in India beyond the permitted period of time.

(2) By Descent (Section 4)

- A person born outside India on or after 26th January 1950 but before 10th December 1992 is a citizen of India by descent, if his father was a citizen of India by birth at the time of his birth. In case the father was a citizen of India by descent only, that person shall not be a citizen of India, unless his birth is registered at an Indian Consulate within one year from the date of birth or with the permission of the Central Government, after the expiry of the said period.
- A person born outside India on or after 10th December 1992 but before 3rd December, 2004, is considered as a citizen of India if either of his parents was a citizen of India by birth at the time of his birth. In case either of the parents was a citizen of India by descent, that person shall not be a citizen of India, unless his birth is registered at an Indian Consulate within one year from the date of birth or with the permission of the Central Government, after the expiry of the said period.
- A person born outside India on or after 3rd Decmber, 2004 shall not be a citizen of India, unless the parents declare that the minor does not hold passport of another country and his birth is registered at an Indian consulate within one year of the date of birth or with the permission of the Central Government, after the expiry of the said period.

Procedure
Application for registration of the birth of a minor child to an Indian consulate under Section 4(1) shall be made in Form-I and shall be accompanied by an undertaking in writing from the parents of such minor child that he does not hold the passport of another country.

(3) By Registration (Section 5(1))

Indian Citizenship by registration can be acquired (not illegal migrant) by: -

- Persons of Indian origin who are ordinarily resident in India for SEVEN YEARS before making application under section 5(1)(a) (throughout the period of twelve months immediately before making application and for SIX YEARS in the aggregate in the EIGHT YEARS preceding the twelve months). Application shall be made in Form I.

- Persons of Indian origin who are ordinarily resident in any country or place outside undivided India under section 5(1)(b).

© Persons who are married to a citizen of India and who are ordinarily resident in India for SEVEN YEARS (as mentioned at (a) above) before making application under section 5(1)(c). Application shall be made in Form-II.

- Minor children whose both parents are Indian citizens under section 5(1)(d). Application shall be made by his parents in Form-III.
- Persons of full age whose both parents are registered as citizens of India under section 5(1)(a) or section 6(1) can acquire Indian citizenship under section 5(1)(e). Application shall be made in Form III-A.
- Persons of full age who or either of the parents were earlier citizen of Independent India and residing in India for ONE YEAR immediately before making application under section 5(1)(f). Application shall be made in Form III- B.
- Persons of full age and capacity who has been registered as an OVERSEAS CITIZEN OF INDIA (OCI) for five years and residing in India for ONE YEAR before making application under section 5(1)(g). Application shall be made in Form III-C.

Clarification: A person shall be deemed to be a Person of Indian origin if he, or either of his parents, was born in undivided India or in such other territory which became part of India after the 15th day of August, 1947.

(4) By Registration (Section 5(4))

Any minor child can be registered as a citizen of India under Section 5(4), if the Central Government is satisfied that there are ?special circumstances? justifying such registration. Each case would be considered on merits. Application shall be made in Form-IV.

Procedure

Application in relevant Form for grant of Indian citizenship by registration under section 5 has to be submitted to the Collector/District Magistrate of the area where the applicant is resident. The application has to be accompanied by all the documents and fees payments as mentioned in the relevant Forms. It is very important that applications are complete in all respects otherwise valuable time of the applicant would be lost in making good the deficiencies after they were detected. The application along with a report on the eligibility and suitability of the applicant is to be sent by the Collector/District Magistrate to the concerned State Government/UT Administration within 60 days. Thereafter, the State Govt./UT Administration shall forward the application to the Ministry of Home Affairs (MHA), Government of India within 30 days.

Each application is examined in MHA in terms of the eligibility criteria under the Citizenship Act, 1955 and the Citizenship Rules, 1956. If the applicant is not fulfilling the eligibility criteria, communication to this extent would be sent through the State Govts./UT Administration. Any deficiency in the application would be brought to the notice of the applicant through the State Govt./ UT Administration. The applicant, thereafter, has to make good the deficiency through the State Govts./UT Administration. No correspondence would be made directly with the applicant. However, a copy of the correspondence through the State Govts./UT Administration would be marked to the applicant. Each applicant whose case is found to be eligible after scrutiny of application is informed about the acceptance of his application through the State Government. The applicant should not renounce his foreign citizenship till the citizenship application is accepted and informed of the decision. The applicant is then required to furnish through the State Government, a certificate of the renunciation of his foreign citizenship issued by the mission of the concerned country, proof of fee payment as per SCHEDULE IV of the Act, and personal particulars in Form-V. Thereafter, a certificate of Indian citizenship is issued to the applicant through the State Government.

(5) By Naturalisation (Section 6)

Citizenship of India by naturalization can be acquired by a foreigner (not illegal migrant) who is ordinarily resident in India for TWELVE YEARS (throughout the period of twelve months immediately preceding the date of application and for ELEVEN YEARS in the aggregate in the FOURTEEN YEARS preceding the twelve months) and other qualifications as specified in Third Schedule to the Act. Application shall be made in Form-XII.

विदेशी प्रभाग
गृह मंत्रालय
भारत सरकार

विदेशी प्रभाग

भारतीय नागरिकता (आई.सी.) की प्राप्ति

भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकर और देशीयकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(1) जन्म द्वारा (धारा 3)

- दिनांक 26.01.1950 को या उसके बाद किन्तु दिनांक 01.07.1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा चाहे उसके माता-पिता कहीं के नागरिक हों।
- दिनांक 01.07.1987 को या उसके पश्चात् किंतु दिनांक 03.12.2004 से पहले भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा बशर्ते कि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- दिनांक 03.12.2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा बशर्ते कि उसके माता-पिता दोनो भारत के नागरिक हों अथवा माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा उसके जन्म के समय दूसरा अभिभावक अवैध प्रवासी न हो।

  अधिनियम की धारा 2(1)(ख) में यथा परिभाषित के अनुसार एक अवैध प्रवासी वह विदेशी है जो भारत में प्रविष्ट हुआ।

  (i) बिना किसी वैध पासपोर्ट या अन्य निधार्रित यात्रा दस्तावेजों के : या

  (ii) उसके पास वैध पासपोर्ट या अन्य निधार्रित यात्रा दस्तावेज हैं परंतु वह अनुमेय समयावधि के अधिक भारत में रहता है।

(2) वंशक्रम द्वारा (धारा 4)

- दिनांक 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद किन्तु 10 दिसम्बर, 1992 से पहले भारत से बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति वंशक्रम आधार पर भारतीय नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यदि पिता केवल वंशक्रम द्वारा भारत का नागरिक नहीं होगा, जब तक कि उसके जन्म की तारीख से एक वर्ष के भीतर किसी भारतीय कान्सुलेट पर या केन्द्र सरकार की अनुमति के साथ उक्त अवधि बीत जाने पर उसके जन्म का पंजीकरण नहीं किया जाता।
- दिनांक 10 दिसम्बर, 1992 को या उसके पश्चात् परंतु 3 दिसम्बर, 2004 से पहले माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उनके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यदि माता-पिता में से कोई

एक वंशक्रम द्वारा भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, यदि उसका जन्म, जन्म की तारीख से एक वर्ष के भीतर या उक्त अवधि बीत जाने के उपरान्त केन्द्र सरकार की अनुमति के साथ किसी भारतीय कांउसुलेट में पंजीकृत नहीं करवाया जाता।

- दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 को या उसके उपरान्त भारत से बाहर जन्मे व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगें, जब तक कि माता-पिता घोषणा नहीं करते कि अव्यस्क के पास अन्य देश का पासपोर्ट नही है और उसका जन्म, उसके जन्म की तारीख् से एक वर्ष के भीतर या उक्त अवधि बीत जाने के उपरान्त केन्द्र सरकार की अनुमति से भारतीय काउंसुलिट में पंजीकृत नहीं करवाया जाता।

प्रक्रिया

धारा 4(1) के अंतर्गत भारतीय काउंसुलिट में अव्यस्क बच्चे के जन्म के पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म-। में दिया जाएगा और इसके साथ ऐसे अव्यस्क बालक के माता पिता से लिखित में यह वचन-पत्र लगा होना चाहिए कि वह किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारक नहीं है।

(3) पंजीकरण द्वारा (धारा 5(1))

पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नानुसार प्राप्त की जा सकती है:- (अवैध प्रवासी नही)

- भारतीय मूल के व्यक्ति जो धारा 5(1)(क) के अंतर्गत आवेदन करने से पहले सामान्यत: भारत में सात वर्षों से रह रहे हैं (आवेदन प्रस्तुत करने से तत्काल बारह मास की अवधि के दौरान और बारह माह से पहले आठ वर्षों के दौरान लगभग छ: वर्षों के लिए) आवेदन फार्म-। में किया जाएगा।

- भारतीय मूल के व्यक्ति जो धारा 5(1)(ख) के अंतर्गत अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान के सामान्यत: निवासी है।

  © वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक से विवाहित हैं और जो सामान्यतय: सात वर्षों से भारत के निवासी हैं! धारा 5(1)(ग) के अंतर्गत आवेदन करने से पहले जैसाकि (क) (उपोरक्त) में उल्लिखित है आवेदन फार्म-।। में प्रस्तुत किया जाएगा।

- अव्यवस्क बच्चे जिनके दोनों माता-पिता धारा 5(1(घ) के अंतर्गत भारतीय नागरिक हैं। उसके माता-पिता द्वारा आवेदन फार्म-।।। में किया जाएगा।

- पूरी आयु के व्यक्ति (व्यस्क) जिनके माता-पिता दोनों धारा 5(1)(क) या धारा 6(1) के अंतर्गत भारतीय नागरिक के रुप में पंजीकृत है धारा 5(1)(ड.) के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते है। आवेदन फार्म-।।।-क में किया जाएगा।
- वे व्यस्क जो या उनके माता-पिता में से कोई एक पहले स्वतन्त्र भारत का नागरिक था और धारा 5(1)(च) के अंतर्गत आवेदन करने से तत्काल पहले एक वर्ष के लिए भारत में रहता हो आवेदन फार्म-।।।-ख में किया जाएगा।

- पूरी आयु और क्षमता के व्यक्ति जो पांच वर्षों के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक (ओ.सी.आई.), के रूप में पंजीकृत है और धारा 5(1)(छ) के अंतर्गत आवेदन करने से पहले एक वर्ष के लिए भारत में रह रहे हों। आवेदन फार्म-।।।-ग में प्रस्तुत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: किसी व्यक्ति को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा यदि वह या उसके दोनों माता-पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में या ऐसे अन्य क्षेत्र में पैदा हुआ या जो 15 अगस्त, 1947 के उपरान्त भारत का हिस्सा बन गया हो।

(4) पंजीकरण द्वारा (धारा 5(4))

किसी भी अव्यस्क बच्चे को धारा 5(4) के अंतर्गत भारतीय नागरिक के रुप में पंजीकृत किया जा सकता है, पंजीकृत किया जा सकता है, यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जो ऐसे पंजीकरण का औचित्य ठहराती हैं। प्रत्येक मामले पर उसकी विशेषताओं के आधार पर विचार किया जाएगा। आवेदन फार्म-IV में किया जाएगा।

प्रक्रिया

धारा 5 के अन्तर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन संगत फॉर्म में उस क्षेत्र के संग्राहक/जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा जिस क्षेत्र का आवेदक निवासी है। आवेदन में संबंधित फॉर्म में उल्लिखित सभी दस्तावेज और शुल्क साथ होने चाहिएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हों अन्यथा कमियां पता लगने पर उन्हें ठीक करने में आवेदक का मूल्यवान समय बर्बाद होता है। आवेदक की पात्रता और उपयुक्तता संबंधी रिपोर्ट के साथ आवेदन संग्राहक/जिला न्यायाधीश द्वारा 60 दिनों के अन्दर संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के पास भेजनी होती है। इसके पश्चात् राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक इस आवेदन को 30 दिनों के अन्दर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजेगा।

गृह मंत्रालय में प्रत्येक आवेदन की नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 1950 के अन्तर्गत पात्रता मानदंड के अनुसार जांच-पड़ताल की जाती है। यदि आवेदक पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है तो इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से पत्र भेजा जाएगा। आवेदक को आवेदन में किसी कमी के बारे में सूचना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के माध्यम से दी जाएगी। इसके बाद आवेदक को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के माध्यम से वह कमी पूरी करनी है। सीधा आवेदक के साथ किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। तथापि, पत्राचार की एक प्रति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के माध्यम से आवेदक को भेजी जाएगी। आवेदन की जांच के बाद जिस आवेदक का मामला सही पाया जाता है उसे उसका आवेदन स्वीकार होने के बारे में राज्य सरकार के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। आवेदक को नागरिकता संबंधी आवेदन स्वीकार किए जाने और निर्णय के बारे में सूचित किए जाने तक विदेशी नागरिकता का त्याग नहीं करना चाहिए। उसके बाद आवेदक को राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित देश के मिशन द्वारा उसकी विदेशी नागरिकता का त्याग करने संबंधी जारी किया गया प्रमाण-पत्र, अधिनियम की अनुसूची-IV के अनुसार शुल्क अदायगी का प्रमाण और फॉर्म-V में व्यक्तिगत विवरण भेजा जाना आवश्यक है। इसके बाद, राज्य सरकार के माध्यम से आवेदक को भारतीय नागरिकता का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है।

(5) देशीयकरण द्वारा (धारा 6)

12 वर्षों से सामान्यत: भारत में निवास (आवेदन की तारीख से पहले लगातार 12 महीने तथा इन बारह महीनों से पहले 14 वर्षों में कुल मिलाकर 11 वर्ष) करने वाला तथा नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में

यथाउल्लिखित पात्रताओं को पूरा करने वाला विदेशी (अवैध प्रवासी नहीं), देशयीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फॉर्म-XII मे आवेदन किया जाएगा।